न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–101/2014–15

श्रीमती सुनीता देवी आदि

–बनाम–

तहसीलदार, विकासनगर।

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री सन्दीप कुमार।

बावत

मौजा सेन्ट्रल होप टाउन, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी तहसीलदार, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–3369 वर्ष 2013–14 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम सुनीता देवी आदि बनाम लीला देवी में पारित आदेश दिनांक 01–07–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस नामान्तरण वाद में पक्षकारों के मध्य सम्पादित हुए एक आपसी समझौतानामा दिनांक 26–02–2015 को तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा समझौतानामा के आधार पर नामान्तरण वाद का निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया गया परन्तु तहसीलदार, विकासनगर ने नामान्तरण वाद को समझौतानामा के आधार पर निस्तारित न करते हुए पंजीकृत वसीयत, दिनांक 20–08–2001 के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिनांक 01–07–2015 पारित कर दिए। तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–07–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को सुना गया एवं अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेशों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 बीर सिंह ने दिनांक 20–08–2001 को एक पंजीकृत वसीयत अपनी पाँचों पुत्रियों/निगरानीकर्तागण के नाम पर सम्पन्न की थी। वसीयतकर्ता का देहान्त दिनांक 01–11–2013 को हो गया और वसीयत के आधार पर निगरानीकर्तागण ने तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने हेतु नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद में सर्वे लेखपाल ने अपनी आख्या भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई और वसीयत के गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत को पूर्णरूप से साबित किया तथा निगरानीकर्तागण में से श्रीमती सुनीता देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र सहित अपने बयान दर्ज कराये और वसीयत वाली भूमि पर सभी का कब्जा होना स्वीकार किया। मुकदमें के दौरान निगरानीकर्तागण ने एक समझौतानामा दिनांक 26–02–2015 को अधीनस्थ न्यायालय में

प्रस्तुत किया और उक्त राजीनामे के साथ एक नक्शा भी प्रस्तुत किया जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण अपने नाम पर दाखिल खारिज का आदेश चाहती थी। समझौते के अनुसार उक्त भूमि सभी को अलग–अलग तथा सभी की सहूलियत एवं सुविधा के अनुसार सभी की सहमति से अलग–अलग कर दी गई जिससे भविष्य में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी पक्षों के मध्य शेष न रहे। अधीनस्थ न्यायालय में बहस के दौरान यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि समझौतानामा दिनांक 26–02–2015 के अनुसार वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई परन्तु तहसीलदार ने समझौतानामा के आधार पर नामान्तरण वाद में आदेश पारित न कर वसीयत के आधार पर आदेश पारित कर दिये जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है और निरस्त होने योग्य है और निगरानी स्वीकार होने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने ए0डब्लू0सी0 1995 पृष्ठ–463 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं ए0डब्लू0सी0 1994 पृष्ठ–634 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण ने प्राप्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर नामान्तरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। नामान्तरण वाद की कार्यवाही के दौरान ही निगरानीकर्तागण ने आपसी समझौतानामा के आधार पर नामान्तरण वाद में आदेश पारित किए जाने की प्रार्थना की गई परन्तु तहसीलदार द्वारा पक्षों के मध्य हुए समझौतानामा के आधार पर आदेश पारित न कर निगरानीकर्तागण के पक्ष में सम्पादित हुई पंजीकृत वसीयत दिनांक 28–08–2001 के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिनांक 01–07–2015 पारित कर दिए। मैंने निगरानी के साथ संलग्न पक्षों के मध्य हुए समझौतानामा दिनांक 26–02–2015 जो तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था की प्रमाणित प्रति एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत मूल वसीयत दिनांक 28–08–2001 का अवलोकन किया। इस समझौतानामा में वसीयतग्रहिता सभी पक्षों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं और उनके द्वारा समझौता प्रार्थना पत्र में पक्षों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में समझौता प्रार्थना पत्र के आधार पर नामान्तरण वाद में आदेश पारित किए जाने का अनुरोध किया गया है। तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पक्षों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार ~~कर~~ न कर वसीयत के आधार पर आदेश पारित किया जाना विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। तहसीलदार को चाहिए था कि पक्षों के मध्य जो समझौता हुआ है उसके आधार पर ही नामान्तरण वाद में आदेश पारित करते। इस सम्बन्ध में विद्वान निगरानीकर्ता ने उपरोक्त विधिक व्यवस्थायें जो इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं को भी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा किस आधार पर पक्षों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार नहीं किया गया यह स्पष्ट नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था ए0डब्लू0सी0 1995 पृष्ठ–463 श्रीमती किशोरी देवी बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी व अन्य में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यह दृष्टान्त दिया गया है कि– "Consolidation of Holding Act-Section 12 and 48- Petitioner claiming her right on basis of will-Consolidation Officer not accepting genuineness and validity of will-Compromise in appeal and joint petition of compromised filed-Appellate authority rejecting compromise-Revisional authority giving no relief-Writ Petition-Appellate and revisional authorities failing to notice that no reference to will made in petition of compromise-Both authorities failing to consider that it is open to a party to adjust claim of other party-Genuineness of compromise neither disputed nor doubted-Compromise not referring to any transfer-Compromise filed in appeal under Act

requires no registration-Revisional order quashed-Matter remitted to revisional authority for passing appropriate orders in regard to compromise. ''

इस विधिक व्यवस्था में यह स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि दाखिल समझौते के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और मा0 उच्च न्यायालय ने पक्षों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद के निस्तारण के आदेश दिए गए।

इसके अतिरिक्त एक अन्य विधिक व्यवस्था ए0डब्लू0सी0 1994 पृष्ठ–634 बलदेव बनाम डी0डी0सी0 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि –''Hindu Law- Mutation proceeding-Family settlement in such proceedings-Registration of, not necessary. ''

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधिक व्यवस्थाओं में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–07–2015 विधिक रूप से त्रुटियुक्त है और निरस्त होने योग्य है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि वे नामान्तरण वाद में पक्षों के मध्य हुए समझौते के आधार पर नामान्तरण वाद में आदेश पारित करें।

आदेश

निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार, विकासनगर का आक्षेपित आदेश दिनांक 01–07–2015 निरस्त कर प्रकरण उन्हें इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत समझौतानामा के आधार पर नामान्तरण वाद में स्पष्ट आदेश पारित करें एवं अनुपालन आख्या से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली सँचित हो।

20/7/15

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 20/07/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

20/7

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।